Date - 5 March 2022

सेबी की पहली महिला अध्यक्ष

- हाल ही में माधबी पुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का अगला नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- भारत सरकार की ओर से अगले तीन साल के लिए माधबी को यह जिम्मेदारी दी गई है. वह पूर्व अध्यक्ष अजय त्यागी का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल **28** फरवरी को समाप्त हो गया था।
- वित्तीय बाजार का वह हिस्सा जहां से शेयरों, प्रतिभूतियों, बांडों और म्यूचुअल फंडों के माध्यम से लंबी अवधि की पूंजी जुटाई जाती है, प्रतिभूति बाजार कहलाता है।
- प्रतिभूति बाजार को अंग्रेजी में सुरक्षा बाजार भी कहा जाता है। शेयर बाजार इस सुरक्षा बाजार का एक हिस्सा है।
- प्रतिभूति बाजार में कई तरह के लेन-देन किए जाते हैं जिनमें बदला, प्रतिवर्ती बदला, फ्यूचर्स ट्रेडिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे लेनदेन शामिल हैं। हालांकि इनमें से कई लेन-देन अवैध भी हैं, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग को अवैध माना जाता है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भारत में इस प्रतिभूति बाजार के लिए कानून और विनियम बनाने का काम करता है।
- इसकी स्थापना **12** अप्रैल **1992** को सेबी अधिनियम **1992** के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित हैं।
- सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (एफएसआरएएससी) द्वारा कैबिनेट को कुछ नामों की सिफारिश की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं।
- एफएसआरएएससी का गठन वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की सिफारिश के आधार पर एक "स्थायी समिति" के रूप में किया गया था। इसका गठन "वित्तीय क्षेत्र के नियामकों की अध्यक्षता, पूर्णकालिक सदस्यों और अंशकालिक सदस्यों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की सिफारिश करने" के लिए किया गया था। इसका

गठन वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों के लिए एक समान चयन प्रक्रिया अपनाने के उद्देश्य से किया गया था।

- इस प्रकार, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार **FSRASC** के एक पैनल द्वारा किया जाता है जिसमें आर्थिक मामलों के सचिव और तीन बाहरी सदस्य होते हैं जिन्हें प्रतिभूति बाजार का ज्ञान होता है।
- साक्षात्कार के आधार पर, **FSRASC** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति को नामों की सिफारिश करता है, जिस पर समिति किसी एक नाम पर अंतिम निर्णय लेती है।
- यह ध्यान देने योग्य है कि इस उच्च स्तरीय पैनल के पास ऐसे नामों की सिफारिश करने की शक्ति भी है, जिन्होंने विज्ञापित पद के लिए आवेदन नहीं किया है।
- सेबी के इतिहास में यह पहली बार है कि कोई महिला सेबी की अध्यक्षता करेगी। माधबी पुरी बुच को वित्तीय क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है।
- माधबी ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष **1989** में आईसीआईसीआई बैंक के साथ की थी, जिसके बाद उन्हें बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उन्हें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का सीईओ बनाया गया।
- इसके अलावा, माधाबी शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक में सलाहकार और निजी इक्विटी फर्म ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल की सिंगापुर शाखा की प्रमुख रही हैं।
- माधाबी **5** अप्रैल **2017** से **4** अक्टूबर **2021** तक सेबी की पूर्णकालिक सदस्य रही हैं। इस दौरान उन्होंने निगरानी, सामूहिक निवेश योजनाओं और निवेश प्रबंधन जैसे विभागों को संभाला है।

Yojna IAS

भारत का पहला ई-कचरा इको-पार्क

- संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर **2020** रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष **2019** में दुनिया में **6** मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ था।
- अनुमान है कि **2030** तक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक कचरे में लगभग **38** प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है और आने वाले समय में यह और कितनी बढ़ने वाली है।
- इसी क्रम में हाल ही में दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली में भारत का पहला ई-कचरा ईको-पार्क खोला जाएगा|
- कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जैसे मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर या उससे संबंधित अन्य उपकरण / पुर्जे, जब वह क्षतिग्रस्त हो जाता है या उपयोग करने योग्य नहीं रह जाता है, तो उसे ई-कचरा कहा जाता है।
- इसे दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत **21** प्रकारों में विभाजित किया गया है – **1)** सूचना प्रौद्योगिकी और संचार उपकरण और **2)** विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण।

Yojna IAS

- दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की तेजी से बढ़ती खपत है। आज हम जिन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अपना रहे हैं, उनका जीवनकाल छोटा है।
- इस वजह से उन्हें जल्दी से फेंक दिया जाता है। नई तकनीक आते ही पुरानी को फेंक दिया जाता है। इसके साथ ही, कई देशों में इन उत्पादों की मरम्मत और पुनर्चक्रण की सीमित प्रणाली है, और फिर भी वे बहुत महंगे हैं।
- ऐसे में जैसे ही कोई उत्पाद खराब होता है, लोग उसे ठीक करने के बजाय उसे बदलना पसंद करते हैं. इस वजह से ई-कचरा भी बढ़ रहा है।
- एक अन्य आंकड़े के मुताबिक अगर साल **2019** में पैदा हुए कुल इलेक्ट्रॉनिक कचरे को रिसाइकिल किया जाता तो इससे करीब **425,833** करोड़ रुपये का फायदा होता. यह आंकड़ा दुनिया के कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है|
- यह बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक कचरा न केवल पर्यावरण पर बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल रहा है। दरअसल, ई-कचरे में मरकरी, कैडमियम और क्रोमियम जैसे कई जहरीले घटक होते हैं, जो सुरक्षित न होने के कारण मानव स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही यह ई-कचरा मिट्टी और भूजल को भी दूषित करता है।
- अगर दिल्ली की बात करें तो यहां हर साल **2** लाख टन ई-कचरा पैदा होता है. हालांकि, इसे वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है। इससे आग जैसी कई घातक घटनाएं हुई हैं, जो दिल्ली के निवासियों और कचरा संग्रहकर्ताओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।
- इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने यहां भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक-कचरा पर्यावरण के अनुकूल पार्क स्थापित करने का फैसला किया है।
- इस पार्क में सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निपटान, पुनर्चक्रण और पुनर्चक्रण किया जाएगा। **20** एकड़ का यह पार्क बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल और पीसी के लिए द्वितीयक उत्पाद बिक्री बाजार भी बनाएगा।
- ई-कचरे को चैनलाइज करने के लिए **12** जोन में कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जो लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाएगा और उचित उपकरण दिए जाएंगे।
- गौरतलब है कि भारत में **2011** से इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन से जुड़े नियम लागू हैं. बाद में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, **2016** अधिनियमित किया गया।
- पहली बार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं को इस नियम के तहत विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के तहत लाया गया था। नियम के तहत ई-कचरे के संग्रहण

Yojna IAS

और विनिमय के लिए उत्पादकों को जिम्मेदार बनाया गया है और उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है|

Swadeep Kumar

Yojna IAS